न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 03/2017

RCMS No. 2017/00010

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
1 आलम काठात पुत्र अलादीन जाति मेहरात निवासी जगमालपुरा तहसील रायपुर		1. चन्द्रभानसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति रावत निवासी सबलपुरा तहसील रायपुर 2. ग्राम पंचायत अमरपुरा जरिये सरपंच 3. शारदादेवी पत्नी जुगलकिशोर जाति सुथार ब्राहम्ण निवासी 264, गणेशपुरा, ब्यावर जिला अजमेर

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री चन्द्रप्रकाश वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11/5/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, अमरपुरा द्वारा मिसल संख्या ...../........, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.12.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 05.09.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जब ग्राम पंचायत से सम्बन्धित रेकर्ड की प्रतिलिपी प्रदान कराने का निवेदन किया, तो पंचायत द्वारा उक्त रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना बताया। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया, वह संदेहास्पद था। हाल ही में कुछ दिनों पूर्व प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत में सम्पर्क करने पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया, उसका रेकर्ड उपलब्ध हो चुका है, जो पंचायत द्वारा मिसल कायम की जाकर पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। अतः निगरानी में विधि सम्मत कार्यवाही करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जा सुदा रहवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सचिव से नक्शा तैयार करवाया जाकर तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत कर मौका निरीक्षण के आदेश पारित किए। मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थाई निर्णय लिया जाकर एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। नियत समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना मकान निर्मित था, जो कालान्तर में क्षतिग्रस्त होने के कारण भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पडी है। जैर निगरानी पट्टा उप पंजीयक सेन्दडा द्वारा पंजीबद्ध है तथा कानूनन पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। उक्त पट्टा पंजीयन होने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के बेचान कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 सद्भावी क्रेता होकर काबिज आराजी है। ग्राम पंचायत द्वारा आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी पट्टा पंजीबद्ध है, जिसे निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निगरानी खारिज योग्य है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जाहिर किया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, उससे सम्बन्धित दस्तावेज ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके संलग्न उनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की। उक्त मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने पुराने रहवासीय मकान व बाडा की कब्जासुदा पुश्तैनी भूखण्ड का पट्टा प्रदान कराने का निवेदन किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसमें वांछित भूमि खसरा नम्बर 420/2 में स्थित होना बताया। खसरा नम्बर 420 की भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के अनुसार खाता संख्या 1 में पहाडी तथा पर्वत (चरागाह) हेतु दर्ज है। इसमें लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 363/25.03.2014 आदेश के जरिये खसरा नम्बर 420/2 रकबा 0.4300 हैक्टेयर गै0मु0 आबादी ग्राम पंचायत अमरपुरा के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार दिनांक 25.03.2014 के पूर्व उक्त भूमि सरकारी भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जैर निगरानी आज्ञा संख्या 2 दिनांक 20.12.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे पर तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के भी हस्ताक्षर है। विधिक स्थिति यह बनती है कि जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में दर्ज भूमि अर्थात सरकारी भूमि पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में जिस दिनांक को पट्टा जारी किया गया है, उस दिनांक को भूमि ग्राम पंचायत के हक में दर्ज ही नहीं थी, तो ग्राम पंचायत को उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आज्ञा पारित करने का कोई विधिक अधिकार नही था। इस प्रकार पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अब द्वितीय स्थिति यह प्रकट होती है कि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की प्रति प्रस्तुत की है, उसमें जिस भू–भाग का विक्रय किया गया है, वह मौके पर पहाडी के रूप में स्थित है। जैर निगरानी आज्ञा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, जिसमें मौके पर निवास गृह बना होना आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति प्रकट नहीं होती, जिससे यह साबित हो सके कि प्रकरण नियम 157 (1) की परिधी में शुमार होता हो। चूंकि मोके पर पुराना निवास गृह अवस्थिति नहीं था, इस कारण नियम 157 (1) के तहत जो पट्टा जारी किया गया है, वह निर्विवादित रूप से विधि विरूद्ध है, जिसे कायम रखा जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 420/2 की भूमि पर जारी होना पाया जाता है, जो भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 363/25.03.2014 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होकर आबादी के रूप में इन्द्राज हुई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 एवं 102 के तहत आबादी भूमि के आरक्षण एवं आवंटन के प्रावधान है। जिसमें जनसंख्या के अनुपात में आबादी भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए भूमि का आबादी विस्तार हेतु आरक्षण/आवंटन किये जाने के प्रावधान है। जिसमें प्रस्तावित भूमि की भौतिक प्रस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आबादी बसने हेतु उपयुक्त पाए जाने पर ही भूमि को आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित किया जाना उचित है। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 के पूर्वी दिशा की तरफ स्थित है, जो मौके पर मगरी के रूप में दर्शित है। इस तथ्य की पुष्टि अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में लगे फोटोग्राफ से होती है, जो जैर निगरानी पट्टे की भूमि के रूप में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि चरागाह के रूप में दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से भी प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त आवंटन आदेश भी विधिक परीक्षण का मोहताज़ है। अतः इस सम्बन्ध में जिस आदेश से भूमि को आबादी हेतु आवंटन किया गया है, उक्त आदेश की विधिक जांच एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट, पाली को लिखा जावे, यदि दौराने जांच उक्त आदेश विधिक दृष्टिकोण से अनियमित पाया जावे, तो उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जावे तथा भूमि पुनः कब्जे सरकार लेने की कार्यवाही की जावे। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो न केवल विधि विरूद्ध है, बल्कि इस प्रकार के आदेश के जरिये नियमों की जानबूझकर अनदेखी की गई है। यदि इसमें संलिप्त अधिकारीयों/कार्मिकों की भूमिका की जांच करवाई जाकर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो निश्चय ही ऐसी पुनरावृति से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार विभागीय कार्मिकों द्वारा जानबूझकर नियमों की अवहेलना करने पर न्यायालय एक मूक दर्शक बन कर नहीं रह जाता है, बल्कि समाज में न्याय व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु तथा न्याय में विश्वास रखने हेतु इनके विरूद्ध ठोस कार्यवाही किया जाना ही समीचीन है, जिससे नियमों की अक्षरशः

पालना सुनिश्चित हो सके। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय स्तर पर नियमों में विहित प्रक्रिया की जमकर दुरूपयोग किया जाकर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए सरकारी भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, जो विधि का स्पष्टः उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी आज्ञा एवं इससे सम्बन्धित मिसल आदि दस्तावेज पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना भी राजकीय दस्तावेजात् में हेराफेरी करना एवं दस्तावेजों को गायब करने की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इस हेतु तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव सहित इस में दोषी कार्मिकों की संलिप्तता की जांच कर इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (अपील, नियन्त्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के तहत कार्यवाही करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को आदेश दिये जाते है, साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे एक माह के भीतर की गई कार्यवाही का विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रकरण में दस्तावेजात् के पंचायत कार्यालय में अनुपलब्ध होने के कारण ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे सम्बन्धित पुलिस थाने में इस सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज करावें तथा की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावें। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आज्ञा विधि विरूद्ध रूप से पारित की गई है, जिसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसे कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, अमरपुरा द्वारा मिसल संख्या ...../........, संकल्प संख्या 02 दिनांक 20.12.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 41 दिनांक 05.09.2014 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलेक्ट्रट, पाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत अमरपुरा को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली